



(5)

न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी I/ग्रामी/शिवपुरी/दू०२७६/१६१७/२०१७

नेतसिंह पुत्र धनपाल कुशवाह निवासी ग्राम लालपुर
तहसील करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

— आवेदक

श्री प्रमो. पी. धनपाल कुशवाह
द्वारा आज दि. 12.7.17 को

प्रस्तुत

तलके अंक कोट 12.7.17
जात्कर्त्ता मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

नारायण सिंह पुत्र निन्हा कुशवाह निवासी ग्राम
लालपुर तहसील करैरा जिला शिवपुरी म०प्र०

— अनावेदक

मेरे
के
से
ता
ण

प्रस्तुति

दीप.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 तहसीलदार करैरा जिला

शिवपुरी के प्र.क. 25/2016-17/अ-12 में पारित आदेश

S
(प्रधानमंत्री)
(12.7.17)

दिनांक 09.06.2017 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य :-

यह कि, अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 तहसील करैरा जिला शिवपुरी के समक्ष भूमि सर्वे क. 132/2 हे. रकवा 0.25 हैं. के संबंध में अनावेदक द्वारा सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 16.05.2017 को प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्र.क. 25/अ-12/2016-17 पर दर्ज किया जाकर आपत्तियां आहूत किये बिना तथा अनावेदक द्वारा सीमाकंन नियमों का पालन किये बिना दिनांक 09.06.2017 को सीमाकंन आदेश पारित करा लिया गया। उक्त प्रकरण में आवेदक को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया और ना ही सरहदी कृषकों को सीमाकंन सम्बंधी कोई

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/2177

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी करेंगे जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">संदर्भ</p> <p><u>अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी</u></p> 	